अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–213/2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 09.04.2026**

1. प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश पुत्र शंकर राय उर्फ शंकर.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक की ओर से – श्री गोपालजी, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी (राज्य) की ओर से – श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

09.04.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **1. प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश** की तरफ से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत लहेरियासराय थाना कांड संख्या–751/25, अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),118(1),109,303(2),352,3(5) बी0एन0एस0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. उक्त आवेदन पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. अभियोजन वाद का सारांश सूचक के अनुसार यह है कि दिनांक 21.12.2025 को वह एक सैलून का उद्घाटन किए। उद्घाटन के समय करीब शाम के 6 बजे दो–तीन अज्ञात व्यक्ति आए और आकर सूचक के साथ मारपीट एवं लूट–पाट करने लगे, जिसमें ग्राहक के द्वारा पहचान किया गया जिसका नाम राजन उर्फ राजा, प्रकाश, चिंटू है। सभी के हाथानों में लोहे का रॉड एवं डाईगर था। डाईगर एवं रॉड से सूचक पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे उसका सर फट गया और वह वेहोश होकर गिर गया तो उसे ईलाज हेतु डी0एम0सी0एच0 दरभंगा में भर्ती कराया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई जमानत आवेदन ना तो उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और ना ही कोई जमानत आवेदन कहीं लंबित है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दो कांड का आपराधिक इतिहास है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप गलत एवं आधारहीन है एवं बनावटी है। यह कहना गलत है कि आवेदक द्वारा सूचक के साथ मारपीट किया गया है। प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक को गंदी मोहल्ला राजनीत को लेकर झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा लगाये गये शर्तो को पालन करने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा खारिज करने का निवेदन किया गया।

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 09.04.2026**

6. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस काण्ड में धारा 126(2),115(2),118(1),109,303(2),352,3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 04 में वादी का बयान, कंडिका 5, 6 एवं 7 में साक्षियों का बयान है जिसमें प्राथमिकी के घटना का समर्थन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्त हाथ में डायगर एवं लोहे का रॉड लेकर दुकान में प्रवेश कर प्रहार किए है जिनकी पहचान ग्राहकों द्वारा की गई है। कांड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म प्रतिवेदन जिसमें सूचक के एक जख्म 1. A lacerated would of size 3.5cm x 0.5cm x 0.5cm over right parietal region of scalp अंकित है जिसकी प्रकति साधारण (Simple) बतायी गयी है, परन्तु सिर पर जख्म कारित किया गया है तथा सिर शरीर का मार्मिक भाग(Vital part) है। आवेदन की कंडिका 3 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दो काण्ड का आपराधिक इतिहास है। इस कांड में अनुसंधान अभी भी जारी है। अतः आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त **1. प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश** को निर्देश दिया जाता है कि वह निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से 20 दिनों के अन्दर आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना करें तथा निम्न न्यायालय बिना इस आदेश से प्रभावित हुए, उनके नियमित जमानत पर सुनवाई कर गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करें। इसी निर्देश के साथ आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित
ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	09-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	09-04-2026
Uploading Date	13-04-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)